सीडॉ

समानता का सफर

आपकी राष्ट्रीयता

....

आपका वोटर आई कार्ड नं०

....

आपका राशन कार्ड नं०

....

मैं हूँ

मेरा नाम..

मेरी माँ का नाम..

मेरी ख़ूबी..

मेरे शौक..

मुझे पसन्द है...

ख़ुशहाल जीवन की धरा - समानता हेतु सम्मान
जिससे हो हर औरत का सपना साकार!

CEDAW

वेंशन फॉर दा एलिमिनेशन ऑफ
ॉल फॉमस ऑफ डिस्क्रीमिनेशन
अगेन्स्ट वूमेन (सीडॉ)

सीडॉ पहला दस्तावेज है
महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को पारिभाषित करता है।

क अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता

ऐसा हथियार है, जो महिलाओं के मानवाधिकारों को संबोधित
। यह महिलाओं के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव को स्पष्ट
व महिलाओं को समानता का हक देता है और इसकी जिम्मेदारी
डालता है।

सीडॉ कहता है कि राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में समानता के लिए वोट देने का एवं चुनाव लड़ने का और सार्वजनिक कार्यालयों में पद ग्रहण करने का सबका अधिकार होना चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

ष्ट करता है कि जेंडर आधारित हिंसा अनेक क्षेत्रों और संदर्भों
नाती है जैसे स्वास्थ्य, रोजगार, परिवार, ग्रामीण, महिलायें आदि।
आधारित हिंसा वह हिंसा है जो महिलाओं को केवल इसलिए
बनाती है क्योंकि वे महिलाएँ हैं।

रकार ने घरेलू हिंसा रोकने के लिए नया कानून "PWDVA, 2005"
है। हमारे देश में पारिवारिक कानून अलग–अलग धर्मों के लिए
भी यह कानून औरत को एक नागरिक का दर्जा देता है और घर
त जीवन जीने का अधिकार देता है।

पर औरतों के साथ यौन हिंसा व अश्लील व्यवहार करना यौन
हलाता है। इसकी रोकथाम के लिए महिलाओं के अनुभवों को मद्दे
खते हुए तथा पूरे देश में इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने
नया कानून बनाया जा रहा है–"Sexual Harrasment at Work Place".

ं के खिलाफ हो रही हिंसा को खत्म करने के लिए कानून एक
जरूर है। सीडॉ इस बात पर भी जोर देता है कि महिलाओं को
क्त जीवन प्रदान करना जरूरी है इसलिए हमारे सांस्कृतिक
ाज़ों और परम्पराओं को जोकि औरत और लड़कियों का शोषण
उसे भी बदलना राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

**के प्रति जो भेदभाव समाज में हो रहे हैं उसे खुले रूप से लोगों के
ने में नारीवादी आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और समाज में
पने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जागरूक हो रही है।**

राष्ट्र की जिम्मेदारी

1979 में 'महिला अधिकार' दस्तावेज सीडॉ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन व मान्यता मिली जिसमें भारत भी शामिल है। सीडॉ के अनुसार हर राष्ट्र/देश की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के साथ नीजि व सार्वजनिक स्तर पर होने वाले भेदभाव में हस्तक्षेप करते हुए महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे।

सीडॉ - de jure/difacto कानूनी व वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। सीडॉ यह पहचानता है कि औपचारिक स्तर पर कानून होने के बावजूद भी वास्तविक स्थिति भिन्न होती है। जैसे कानून सबको बराबरी का दर्जा देता है जबकि समाज गैर बराबरी/भेदभाव करता है।

सीडॉ : समानता की मांग

महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन होते हुए देख, जरूरत महसूस की गई एक ऐसे कानून की जो महिलाओं को समानता का दर्जा दे। सीडॉ ßefgykvk d: fo :) lHkh idkj d: HknHkko gVku: gr| lfonkÞ एक ऐसा विशेष कानून है, जो मानवाधिकारों को महिलाओं के संदर्भ में परिभाषित करता है। उन मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है जिनमें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व पारिवारिक जिन्दगी में जीवन जीने की सुरक्षा की आज़ादी।

सीडॉ स्पष्ट करता है कि महिलायें सामूहिक तौर पर लिंग आधारित भेदभाव की शिकार है। वह मानती है कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के पीछे पितृसत्तात्मक सोच है और यही सोच परिवार के अंदर, कार्यस्थल व सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका व योग्यता निर्धारित करती है।

सीडॉ : समानता का सफर

इस दस्तावेज को लिखने में 7 साल लगे

र 1979 में सीडॉ को UN General Assembly में मान्यता मिली।

र 1981 में इसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का दर्जा मिला जब 20 देशों ने इसमें दस्यता दर्ज कराई।

 साल पूरे होने तक) 100 देशों ने अपनी सदस्यता दर्ज कराई। आज 179 के सदस्य हैं।

93 में भारत ने इसके आधारों का समर्थन देते हुए इसमें सदस्यता दर्ज कराई।

सीडॉ के अनुच्छेद 29 को नहीं अपनाया। क्योंकि इस अनुच्छेद में किसी भी के आपसी संबंधों में बिना किसी सहमति और इच्छा के दखल न देने की नीति रखना है। इसमें दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच प्रस्तुत संविदा के प्रयोग न कोई विवाद उठता है और आपसी समझोते से उसका हल नहीं निकलता तो, किसी एक राष्ट्र के अनुरोध पर, अन्य किसी राष्ट्र को मध्यस्थता के लिए भेज मध्यस्थता के अनुरोध के छः माह के अन्दर अगर ये राष्ट्र मध्यस्थता के गठन त नहीं होते तो, इनमें से काई एक राष्ट्र संवैधानिक न्याय के लिए य न्यायालय में भेज सकता है।

मेटी

त्येक सदस्य को हर चार साल पर सीडॉ कमेटी में रिपोर्ट जमा करनी पड़ती रिपोर्ट में सदस्य बताते हैं कि किस प्रकार व किस हद तक उन्होंने अपने सीडॉ का पालन किया है।

रोजगार का अधिकार

एक समान रोजगार के अवसरों के लिए नियम-कानूनों का होना जरूरी है। जैसे कि:

- कार्य करने का अधिकार, अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने और समान रोजगार के अवसर प्राप्त करने का अधिकार
- एक समान शर्तों के साथ पारिश्रमिक, लाभ प्राप्त करने का अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार जिसमें महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश के दौरान वेतन व अन्य सुविधाओं को सशर्त प्राप्त करने का अधिकार
- महिलाओं के साथ गर्भावस्था व शादी के आधार पर रोजगार के क्षेत्र में होने वाले भेदभाव को दूर करके समानता को स्थापित किया जाये और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ प्रसूति अवकाश प्राप्त करने का प्रावधान दिया जाये।

शिक्षा का अधिकार

ी जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का स्तर **64.8** प्रतिशत में पुरूषों का स्तर **75.3** प्रतिशत और महिलाओं का 53-7 है। ये भेदभाव क्यों और कैसे? आज भी लड़कियों को पढ़ने लड़कों के बराबर नहीं दिये जाते। उन्हें घर के काम तक कर दिया जाता है। या तो पाँचवीं या छठी कक्षा तक ही पढ़ाना समझा जाता है, क्योंकि आखिर में उन्हें चुल्हा-चौका ही ना है।

अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर ौर समानता के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं:
ा के सभी स्तरों तक महिलाओं की पहुंच और व्यवसायिक दर्शन के समान अवसर
न्न स्तरों पर शिक्षा के अवसर
ृत्तियों और अध्ययन अनुदानों के एक समान अवसर उपलब्ध ना और खेलकूद और शारीरिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना।

ी-पुरुष की समान शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार को देता है।

50 प्रतिशत बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जिसमें से र लड़कियाँ हैं।

समानता

भेदभाव को मिटाकर समाज में Gender Equality को स्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इस बराबरी को लाने के लिए नीति बनानी चाहिए, कानून में बदलाव लाने चाहिए और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम बनाने व चलाने चाहिए।

Gender Equality क्या है?

Gender Equality का मतलब है कि आप और आपका भाई बराबर हो! दोनो एक-दूसरे को इज़्जत देते हो, कद्र करते हो, और कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ोगे और देश के अच्छे नागरिक बनोगे।
साथ में आप और आपका भाई हमारी नजरों में शिक्षा में, खेलकूद में, लाड़-प्यार में और जीवन के हर क्षेत्र में बराबर हो।

हम, तुम दोनों को आगे बढ़ने के समान मौके देंगे।

CEDAW के मुख्य बिन्दु

बराबरी – Substantive Equality

[...]बराबरी का अंत, पक्षपात न करना

– Non discrimination

[...] का दायित्व

– State Obligation

CEDAW कहता है

[...]ाओं और लड़कियों को समान तरक्की के अवसर मुहैया कराना।

[...]अवसरों तक महिलाओं की पहुँच को आसान बनाना।

[...]समान अवसरों व उन तक पहुँच के बेहतर नतीजों को सुनिश्चित [...]ा।

[...]AW के अनुसार बराबरी को स्थापित करने के लिये परिवार व [...] में महिला व पुरुष की पारम्परिक भूमिकाओं को बदलना बहुत [...] है।

यह सरकार की जिम्मेदारी है

[...]क्योंकि भारत सरकार ने सीडॉ का समर्थन किया है।

प्रजनन अधिकार

सीडॉ कहता है कि महिला को अधिकार है कि वो ये निणर्य ले कि वो कब गर्भवती होगी और बच्चे को जन्म देगी या नहीं। एक महिला को अपनी प्रजनन क्षमता पर स्वछंद अधिकार है, उसे सुरक्षित गर्भपात का अधिकर भी प्राप्त है।

प्रजनन अधिकारो में स्वछंद रूप से बच्चों की संख्या में और उनकी उम्र में अन्तर रखने का अधिकार भी महिला को प्राप्त है। परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य संबधी सुविधाओं की प्राप्ति को मानवाधिकारों के तहत देखा गया है।

गर्भावस्था के दौरान होने वाली मौत को साधारण रूप से या प्राकृतिक रूप से नहीं देखा जा सकता, ये मौत सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक वातावरण का नतीजा होता है। गर्भावस्था के दौरान खतरा और मौत को रोकने में होने वाली असफलता इस समय का सबसे बड़ा सामाजिक अन्याय है।

क्षा (अनुच्छेद 12)

को महिलाओं तक पहुँचाने के साथ महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाये पहुँचाने की बात यौनिक स्वास्थ्य की जानकारी के साथ-साथ कुछ पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त करता हलाओं की योनि काटना व सिलना, गर्भवती महिलाओं के आधार पर रोक-टोक व स्वास्थ्य को प्राथमिकता को रोकता है व वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं व विकलांग के लिये विशेष स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराता है।

र सामाजिक जीवन (अनुच्छेद 13)

अंदर और बाहर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समानता सुनिश्चित कराने का दायित्व लता है जैसे पैतृक संपत्ति में अधिकार महिलाओं को ऋण मिलने की सुविधा इत्यादि।

लाओं के अधिकार (अनुच्छेद 14)

लाओं को काम न मिलने के कारण वो शहर की तरफ भागती है ये जेण्डर आधारित मिटाते हुए गाँव में ही महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये र्यक्रमों की योजना कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राष्ट्र पर डालता है।

जर में समानता (अनुच्छेद 15)

नजर में पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिये। कानून की नजर ं की समानता व क्षमता पर किसी का प्रतिबंध नहीं होना चाहिये जैसे - देश में घूमने, आजादी, आवास चुनने की आज़ादी इत्यादि।

पारिवारिक कानून (अनुच्छेद 16)

में हो रहे भेदभाव को मिटाने की जिम्मेदारी राष्ट्र पर डालता है। यह सामाजिक परा, संस्कृति व कानून की वजह से आई असमानता को बदलने की बात करता है की न्यूनतम आयु, रजामंदी, पंजीकरण, बच्चों की संख्या निर्धारित करने, गर्भपात यानि धी अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति खरीदने बेचने व व्यवसाय चुनने के साथ-साथ घरेलू हिंसा को हटाने की जिम्मेदारी राष्ट्र पर डालता है।

राष्ट्र का दायित्व

सरकार का दायित्व सीडॉ का एक बुनियादी अंग है। vuPNn 1 l 4 ljdkj d nkf;Ro के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है :

- साधनों के दायित्व और परिणामों के दायित्व।
- अधिकारों को सम्मान देना और उनकी पूर्ति व सुरक्षा का दायित्व।
- सकारात्मक कारवाई करना अस्थायी और स्थायी क्षेत्र में अस्थायी कारवाई- नौकरी, तरक्की, आरक्षण/कोटा व राजनीति में महिलाओं की सहभागिता।
  स्थायी कारवाई- शारीरिक भिन्नता, से उत्पन्न महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना जैसे गर्भावस्था, प्रसूति, मातृत्व से जुड़ी जरूरतें।
- कर्तव्य पालन करने का मापदण्ड (डियू डिलिजेंस)- राष्ट्र को ये साबित करना पड़ता है कि कर्त्तव्य निभाने के लिए उसने सारे उचित कदम उठाये है या नही। जैसे संविधान में मानवाधिकारों को मान्यता देना, औपचारिक कानूनी ढाँचा तैयार करना, संसाधन मुहैया करना और योजनाएँ बनाना।

ड़ता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लड़कियों-महिलाओं को सम्मान
जीने के समान अवसर प्रदान करने के लिए नीति व कानून बनायें।
की जिम्मेदारी है कि सीडॉ को जानकर अपने अधिकारों को जानो,
और उन्हें मांग लो!

ाथ कब, कहाँ और कैसे भेदभाव किया जा रहा है! समझो, और उसका
रो!

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और सहभागिता (अनुच्छेद 8)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सहभागिता, प्रतिनिधित्व व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने के समान अवसर की बात करता है। महिलायें घर से बाहर नहीं जा सकती-घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, जानकारी की कमी जैसी सामाजिक धारणायें बनाकर महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से परे रखा जाता है।

राष्ट्रीयता (अनुच्छेद 9)

महिलाएं पति व पिता की राष्ट्रीयता पर निर्भर होती है उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। सीडॉ का मानना है कि महिलाओं की राष्ट्रीयता उनके पति व पिता की राष्ट्रीयता से स्वतंत्र होनी चाहिये। बालिग महिलाओं को अपनी राष्ट्रीयता निर्धारित करने बदलने या बनाये रखने का अधिकार पुरूषों के समान होना चाहिये तथा बच्चों की राष्ट्रीयता निर्धारित करने के लिये महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलना चाहिये।

शिक्षा (अनुच्छेद 10)

यह शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के घट रहे अनुपात को देखते हुए, समानता की बात करता है। रूढ़िवादी धारणाओं को मिटाते हुए, लड़कियों की पढ़ाई के लिये प्रेरित करने की बात करता है। खेलकूद, शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) उपलब्ध कराने को कहता है।

रोजगार (अनुच्छेद 11)

रोजगार क्षेत्र में महिलाओं और पुरूषों के श्रम को समान मानते हुए समान वेतन की बात करता है तथा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता के साथ-साथ कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधा जैसे प्रसूति अवकाश व स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने की बात करता है।

समानता (अनुच्छेद 5)

जिन्दगी व घरेलू कामकाज के बंटवारे में भी समानता लाई जाये। महिलाओं व पुरूषों मकाज का बंटवारा हो। सामाजिक नियमों/धारणाओं और प्रथाओं को बदलने की राष्ट्र को देता है। जैसे घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, दहेज के कारण होने वाली याचार महिलाओं की योनि काटना आदि।

र और वेशवृति में होने वाले शोषण का दमन (अनुच्छेद 6)

ं के अवैध व्यापार को रोकने की बात करता है। वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं के साथ हिंसा, शोषण का समाप्त करने की जिम्मेदारी राष्ट्र को देता है तथा जिन परिस्थितियों इस काम को चुनती है उसे जानकर, उनका निवारण करने की जिम्मेदारी राष्ट्र को रीबी, बेरोजगारी, युद्ध इत्यादि। लड़की की मर्जी के बिना शादी कर देना या गरीबी के की को बेच देना इत्यादि मानावधिकारो का हनन है।

दस्ती लड़कियों को वेश्यावृत्ति और बेचने के खिलाफ है व वो सेक्सवर्करों को कानूनी की बात करना है और इन नीतियों को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ।

और सार्वजनिक जीवन (अनुच्छेद 7)

ना व चुनाव लड़ना, निर्णय लेना व उसे लागू करना।
पदों पर महिलाओं व पुरुषों की संख्या में बराबरी लाना।
ओं को उच्च पदों पर नियुक्त करना।

सांस्कृतिक धारणाओं तथा जानकारी की कमी के कारण महिलायें उच्च सार्वजनिक पदों हीं कर पाती। महिलाओं की राजनैतिक व सार्वजनिक भागेदारी बढ़ाने के लिये व व सांस्कृतिक धारणाओं को खत्म करने की बात करता है।

सीडॉ के सन्दर्भ में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका

- स्वयं सेवी संस्थाएँ सीडॉ की जानकारी सरल भाषा में लोगों तक पहुचाँने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, जिससे आम लोग सीडॉ के बारे में जान सकें।
- हर चार साल में सरकार की तरफ से सीडॉ कमेटी को भेजी जाने वाली रिर्पोट पर संस्थाएँ निगरानी रख सकती हैं, जिससे वास्तविकता का ज्ञान हो सके कि सरकार ने अपनी कितनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है।
- सरकार अपना काम सुचारू रूप से कर रही है या नही ये जानने के लिए संस्थाओं को सतर्क रहना चाहिए और उसकी रणनीतियों पर चर्चा करते रहना चाहिए।
- सीडॉ के सन्दर्भ में अतंराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे कार्यक्रमों पर भी नजर रखनी चाहिए।

भाव को जानो-पहचानो, और समानता लाओ!

लड़का और लड़की में अंतर तो जन्म से ही शुरू हो जाता है।
ख्र से कब्र तक स्त्री-पुरुषों की गैरबराबरी सदियों से चली आ रही है।

दभाव

छुआछूत की मान्यताएँ
ऊँच-नीच की भावनाएँ
अमीर-गरीब की दूरी
गोरे-काले की पसंद-नापसंद
शिक्षित-अशिक्षित का अंतर

असमानता

शहर की औरतों के काम में और उनके बोझ में अंतर है, इस बात पर ध्यान देना खासकर दलित और भूमिहीन परिवारों की महिलायें जो समाज में हाशिये पर हैं रिस्थिति में बहुत अंतर है। इनके लिए समानता हासिल करना, एक विशाल बदलाव का सूचक होगा।

को तोलते हुए जो कमजोर वर्ग है उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए समाज, और हम सबको कुछ खास प्रयास करने की जरूरत है। उनकी परिस्थिति में भी आ सकता है जब उनको साधन-सुविधायें और मौके दिये जायेगें।

सीडॉ में औरतों के अधिकारों को मानवाधिकार के तहत व्यापक रूप में शामिल किया गया है।

(अनुच्छेद 1½ - 'महिलाओं के प्रति भेदभाव' को लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव, बहिष्कार किया जाता है, जिसका परिणाम या मकसद महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या किसी और क्षेत्र में मानवाधिकारों या मौलिक आज़ादी को हानि पहुँचाना या समाप्त करना।

अनुच्छेद 1-4 की जवाबदेही सरकार पर है।

पुस्तिका के इस भाग में (अनुच्छेद 5-16) स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और औरतों के खिलाफ हिंसा के अधिकारों को विस्तृत रूप से देखने की कोशिश की है।

श में मानवाधिकार होने के बावजूद भी स्त्री-पुरुष में गैरबराबरी ये भेदभाव क्यों और कब से है, क्या हमने कभी इसे जानने शिश की है?

ने घर में ही झाँककर देखें तो भेदभाव जन्म से ही शुरू हो जाता हम बेटे के जन्म में खुशी मनाते है वही हम बेटी के जन्म पर नाते हैं। ये गैर बराबरी क्यों?

ां के सोचने, बोलने, सीखने, समझने, निणर्य लेने और विचार करने इत्यादि पर बचपन से ही परिवार में सामाजिक नियमों के ा पाबंदी लगा दी जाती है।

से ही बेटा और बेटी में अन्तर किया जाता है। ये अन्तर -पान, देख-रेख, लाड़-प्यार और बीमार होने पर इलाज में वाही में नजर आता है। सीडॉ इसे भेदभाव व जेण्डर असमानता ा है।

भेदभाव को स्पष्ट देखा जाता है, जब एक बेटा-बेटी में शिक्षा आैर -कूद में अन्तर किया जाता है और एक लड़के और लड़की की -अलग भूमिका निर्धारित कर दी जाती है।

क धर्म शुरु होने के साथ ही शारीरिक बदलाव होते हैं, जिससे जवान होने का एहसास दिलाया जाता है। उसके आने-जाने, ने-ओढ़ने पर पाबन्दी लगा दी जाती है, क्योंकि उसकी पवित्रता नाये रखने के लिए उसकी कोख पर नियंत्रण रखना जरूरी माना है।

मानवाधिकार

किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है साथ-साथ शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, धर्म, राजनीति, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ अपने घर में भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार ही मानवाधिकार है।

अधिकारों का हनन ही हिंसा है
अपने तरीके से जीवन जाने का
अच्छी शिक्षा पाने का
पेटभर अच्छा खाना खाने का
बिमारी में इलाज का
स्वच्छ वातावरण पाने का
शोषण के खिलाफ बोलने का
अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का
सम्मान से सर उठाकर जीने का
आज़ादी से किसी भी क्षेत्र में रहने का
सुकून से जीने का अधिकार ही मानव अधिकार है

मानव के हित में बनाए गए अधिकार ही मानवाधिकार है। अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए दूसरों के मानवाधिकारों का हनन ना करें। महिलाएँ भी मानव हैं, पुरुषों की तरह उनके भी मानवाधिकार हैं।

वाधिकारों को दो विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकते हैं
एक नारीवादी नजरिये से और सामाजिक परिवेश में

कार में कहीं भी लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है हमारे सामाजिक ढाँचे में महिलाओं के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव ते है। हालांकि संवैधानिक रूप से स्त्री-पुरूष समान हैं पर उनके कार की डोर दूसरों के हाथ में होती है, बचपन में पिता/भाई में पति के व बुढ़ापे में पुत्र के हाथ में। वो अपनी पूरी जिन्दगी अनुसार व सहारे से ही जीती चली जाती है और इसका विरोध करती। वो इसे अपना कर्तव्य मानती चली जाती है। इन यों व सोच को कायम करने में पितृसत्तात्मक समाज की बहुत मिका है। जो अपने हित में सोचते हुए महिलाओं के लिये ाज़, संस्कृति व परम्परा जैसे ताने-बाने (बंधनों) का इस्तेमाल कर दायरे में बाँधकर रखते हैं।

ो हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से पारिवारिक जीवन में घरेलू हिंसा इसी मकसद से अगस्त 2005 में The Protection of Women from c Violence Act, 2005 (PWDVA, 2005) कानून पास किया गया व 2006 में नियम लागू किये गये। यह कानून महिलाओं को समाज और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। अब, इस कानून को र लाने के लिए हमें सीडॉ को समझना बहुत जरूरी है। सीडॉ के को देखते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरे देश में इस ो लागू करे।

इस छोटी सी पुस्तिका से हमारी कोशिश यह है कि सीडॉ को समझकर हम एक स्पष्ट परिपेक्ष्य से इसे जीवन के हर पहलू में प्रयोग में ला सकें।

इस पुस्तिका का मकसद है-औरतों के साथ हो रहे भेदभाव को जाने और साथ ही यह समझें कि मानवाधिकार ही औरतों के अधिकार हैं। इस पुस्तिका को हमने तीन भागों में विभाजित किया है-

सीडॉ क्या है?

मानवाधिकार और सीडॉ

सीडॉ की शर्तें

सभी साथियों के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तिका के निमार्ण में अपना दिया। सीडॉ को सरल भाषा में लिखने की शुरूआत नसीम खान ने की। वाधिकार के संदर्भ में सतीश (आधार) ने अपने विचारों को शामिल किया। सिंह (क्रिया) ने इस पुस्तिका में जेण्डर के परिपेक्ष्य को, व प्रमदा मेनन सेक्सुयेलिटी के संदर्भ में अपने विचार दिये व लीना प्रसाद (एडवोकेट) ने ज़रिये से इसे स्पष्टता प्रदान की।

National Secretariat PWDVA,2005
Website : pwdva.actionindaworld.org

लेखन : प्रियंका सिन्हा, कृति पालीवाल

संपादन : गौरी चौधरी

डिज़ाईन और रूपांकन : सरोज सागर, गौरी चौधरी

चित्रांकन : दिनेश कुमार

action india
5/27A, Jangpura B, New Delhi-110014
Phone : 011-24377470, 011-24374785
Email : actionindia1976@gmail.com
Web : www.actionindiaworld.org

Printed by
S.S.Creation
09810721628

First Print: December 2007
3000 Copies

Publication Supported by ***Action Aid***